# आयकर कर्मचारी महासंघ
# मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ सर्कल
# 3, आयकर भवन, होशंगाबाद रोड, भोपाल

क्र0/आकमसं/मप्रछग/स.शुल्क/2014/ भोपाल, दिनांक 22/12/2014

प्रति,

श्रीमान प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त,
मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़,
**भोपाल**

महोदय,

**विषय :— आयकर कर्मचारी महासंघ, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ सर्कल के सदस्यता शुल्क कटौती में गंभीर अनियमितता — निवारण हेतु —**

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ लेते हुये भारत सरकार/वित मंत्रालय/केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड/प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, म0प्र0छ0ग0 भोपाल द्वारा मान्यता प्राप्त महासंघ के सदस्यों के सदस्यता शुल्क कटौती संबंधी पूर्व में जारी विविध निर्देशों का अवलोकन करें।

उपरोक्त व्यवस्था के अंतर्गत म0प्र0छ0ग0 स्थित समस्त आयकर कार्यालयों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे अपने मातहत कार्यरत सभी अराजपत्रित कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमाह आयकर कर्मचारी महासंघ का सदस्यता शुल्क (1 अप्रेल 2011 से प्रभावशील दर के अनुसार (पे—बेंड-I के कर्मचारियों का 30/- रूपये प्रतिमाह तथा पे—बेंड-II के कर्मचारियों का 50/- रूपये प्रतिमाह) काट कर क्षेत्रीय लेखाधिकारी के माध्यम से महासंघ मुख्यालय भोपाल में सदस्यों की सूची सहित नियमित रूप से संप्रेषित करेंगे। जब तक म0प्र0छ0ग0 में एक ही क्षेत्रीय लेखाधिकारी कार्यरत थे तब तक तो यह व्यवस्था कमोवेश सुचारू रूप से चलती रही किंतु इंदौर एवम् रायपुर में अलग—अलग ZAO जब से स्थापित और कार्यरत हुए तब से यह सारी व्यवस्था छिन्न—भिन्न हो गई है। संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा सही दर से सदस्यता शुल्क काटा जा रहा है या नही ? यदि काटा जा रहा है तो क्या उसकी राशि और अनुसूची संबंधित क्षेत्रीय लेखाधिकारी को भेजी जा रही है या नहीं ? संबंधित क्षेत्रीय लेखाधिकारी क्या सदस्यों से काटी गई राशि का सही सही चैक/डिमांड ड्राफ्ट बनाकर सदस्यों की अनुसूची के साथ सर्कल मुख्यालय भेज रहे हैं या नहीं ? इसकी कोई जानकारी महासंघ मुख्यालय में उपलब्ध नहीं है। क्षेत्रीय लेखाधिकारी, भोपाल ने, जिनके तहत भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर स्थित समस्त आयकर कार्यालय आते हैं, माह अक्टूबर 2012 से कटौती शिड्यूल नहीं भेजा है दूसरी ओर क्षेत्रीय लेखाधिकारी, इंदौर और रायपुर ने तो आज तक कटौती की कोई अनुसूची ही नहीं भेजी है। बीच—बीच में कटौती के कुछ चेक भोपाल और इंदौर ZAO से अवश्य प्राप्त हुए किंतु वे किस शाखा में कार्यरत किस कर्मचारी से संबंधित हैं इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। छत्तीसगढ़ में कार्यरत ZAO का हाल तो अत्यंत खराब है। वहां से तो पिछले 22 महीनों से सदस्यता शुल्क कटौती का कोई चैक/डिमांड ड्राफ्ट अथवा सदस्यों की कोई भी सूची नहीं मिली है। हमारे स्थानीय प्रतिनिधियों ने अनेकों बार संबंधित क्षेत्रीय लेखाधिकारियों से चर्चा कर उनसे इस संबंध में त्वरित एवं उचित कार्यवाही करने का अनुरोध भी किया किंतु आज तक कोई भी अनुकूल कार्यवाही उनके द्वारा नहीं की गई। 1993 के सर्विस एसोसियेशन मान्यता अधिनियम का यहां खुला उल्लंघन हो रहा है।

महासंघ के संविधान के अनुरूप यदि किसी सदस्य द्वारा छः माह तक अंशदान नहीं दिया जाता है तो उसकी सदस्यता निरस्त हो जाती है। किंतु यहां स्थिति विचित्र है। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सदस्यता शुल्क तो प्रतिमाह काटा गया है किंतु वह सर्कल मुख्यालय तक भेजा नहीं गया है। यदि यह सच है तो मसला और भी गंभीर हो जाता है। अतएव इस संबंध में माननीय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ प्रभार से अनुरोध है कि कृपया प्रभार के समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देशित करें कि उनके द्वारा माह अप्रैल 2012 से माह दिसंबर 2014 तक आयकर कर्मचारी महासंघ के सदस्यता शुल्क की कटौती का पूरा विवरण तत्काल सर्कल मुख्यालय में संप्रेषित करें ताकि हम अपना रिकार्ड एवं लेखा ठीक कर सकें। क्षेत्रीय लेखाधिकारी, रायपुर को विशेष निर्देश दिये जायें कि पिछले 22 महीनों के दौरान छत्तीसगढ़ के समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा प्रतिमाह काटी गई सम्पूर्ण राशि का चैक/डिमांड ड्राफ्ट और शुल्क कटौती का पूर्ण विवरण शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करें।

सधन्यवाद।

भ व दी य

**<u>यशवंत पुरोहित</u>**
महासचिव
आयकर कर्मचारी महासंघ
मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ सर्कल

प्रतिलिपि :–

1. समस्त सर्कल पदाधिकारी एवं शाखा सचिव, आयकर कर्मचारी महासंघ, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ सर्कल। आप सभी से विशेष अनुरोध है कि अपने–अपने आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से संपर्क कर यह सुनिश्चित करें कि माह अप्रैल 2012 से दिसंबर 2014 तक की अवधि की मासिक कटौती अनुसूची तैयार करवा कर सर्कल मुख्यालय भेजने की व्यवस्था तत्काल हो। यह महासंघ हमारा अपना है और यह देखना हमारी व्यक्तिगत, विभागीय तथा सांगठनिक जिम्मेदारी है कि सदस्यता शुल्क नियमित रूप से काटा जाये और उसकी राशि तथा संपूर्ण ब्यौरा प्रतिमाह सर्कल मुख्यालय भेजा जाये। आगामी वर्ष क्रमशः फरवरी और अप्रैल में हमारी राष्ट्रीय और सर्कल प्रतिनिधि कांफ्रेंस होने जा रही है। उसके पूर्व ही सदस्यता शुल्क संबंधी सभी मसलों का समाधान करना आवश्यक है। ताकि शाखाओं को देय अंशदान, केंद्रीय मुख्यालय को भुगतान इत्यादि समस्त व्यवस्थायें सुचारू रूप से संचालित हो सकें। साथ ही साथ सदस्यता शुल्क कटौती के विवरण के अभाव में किसी भी सदस्य/प्रतिनिधि/शाखा की सदस्यता पर निलंबन संबंधी कोई भी अप्रिय स्थिति किसी भी दशा में न आये।

महासचिव
आयकर कर्मचारी महासंघ
मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ सर्कल